

मुकदमों का विवरण

केंद्रीय युद्ध-निवारक निगम v.

ठाकुर द्वारा कलान उल-मारुफ बरगलान वाला (मृत) और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2023 का 6918-6919) अक्टूबर 19, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: यदि उच्च न्यायालय अधिसूचना की तारीख को प्रति वर्ग गज मुआवजे की राशि बढ़ाने में न्यायसंगत साबित होता है। 4, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 11 वर्षों की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से संचयी वार्षिक वृद्धि के आधार पर, संदर्भ न्यायालय के एक आदेश से आधार लेते हुए। 2000 वर्ष 1989 के उसी गाँव की भूमि के अधिग्रहण और 1989 से 2000 तक की 11 वर्षों की अवधि के संबंध में, यू/एस द्वारा जारी अधिसूचना का वर्ष। 4 1894 के अधिनियम का।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, **1894**-उचित और न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण-वार्षिक वृद्धि चाहे संचयी आधार पर हो या गैर-संचयी आधार पर-वार्षिक वृद्धि लागू करने की दर-लागू की जाने वाली अवधि:

आयोजित किया गया: न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए वार्षिक वृद्धि देने के लिए इस न्यायालय द्वारा लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण मामले-दर-मामले अलग-अलग होता है और लागू की जाने वाली अवधि एक प्रमुख कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए-वर्तमान मामले में, अवधि 11 वर्ष है जो काफी बड़ी है-वर्तमान मामले में उचित और उचित मुआवजे का सबसे अच्छा निर्धारण तब किया जाएगा जब संचयी प्रभाव के साथ 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू की जाए क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है यानी 3 से 5 वर्ष की छोटी अवधि के लिए, यह 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत हो सकता था-लेकिन किसी भी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 11 वर्ष की अवधि के लिए 15 प्रतिशत न्यायसंगत नहीं होगा-वर्तमान मामले में, 11 वर्ष के अंतराल को देखते हुए, 8 प्रतिशत न्यायसंगत और उचित होगा-मोटे मूल्यांकन पर, मुआवजे के बराबर होगा।

926

द सेंट्रल वॉयरहॉसिंग कार्पोरेशन v. ठाकुर द्वारा कलान उल-मारुफ बरगलान वाला (मृत)

– भूमि अधिग्रहण कलेक्टर निर्धारित दर पर मुआवजे की गणना करेगा। [पारस 23-26]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

महाप्रबंधक, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम रमेशभाई जीवनभाई पटेल और एक अन्य (2008) 14 एससीसी 745:2008 [11] एस. सी. आर. 927; अशरफी और अन्य

बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2013) 5 एस. सी. सी. 527:2013 [6] एस. सी. आर. 148; नरबादी देवी और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य

उच्चतम न्यायालय का आदेश dtd.22.08।2014 एसएलपी (सी) Nos.20531-20565 में

2014; रामराव शंकर तपसे बनाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास

निगम और अन्य (2022) 7 एससीसी 563:2013 [6] एस. सी. आर. 148; राज्य

हरियाणा और एक अन्य बनाम सुभाष चंदर और अन्य (2023) 5 एससीसी 435

– संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 6918-6919।

2004 के आर. एफ. ए. सं. 2400 और 2005 के 295 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता, शैवाल श्रीवास्तव, श्रीमती रचना गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

राकेश कुमार खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती तनुज बग्गा शर्मा, डॉ. एम. के. रवि, राम्या खन्ना, के. उदय कपूर, सुमित जिदानी, राजेश सहगल, सुश्री ए. सुमति, बी. के. सतीजा, सुश्री यज्ञ कल्ला, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

विक्रम नाथ, जे।

1. प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति है।2. छुट्टी दे दी गई।

928

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

3. वर्तमान अपीलें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक आई. डी. 2 के सामान्य निर्णय और आदेश की शुद्धता पर हमला करती हैं, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 (2005 का आर. एफ. ए. संख्या 295) के नेतृत्व में अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, और अपीलकर्ता और हरियाणा राज्य (प्रतिवादी संख्या 2) (2004 का आर. एफ. ए. संख्या 2400 और 2004 का आर. एफ. ए. संख्या 2522) के नेतृत्व में अपीलों को खारिज कर दिया गया था, जिससे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को मुआवजे की राशि को प्रति वर्ग गज आई. डी. 1 तक बढ़ा दिया गया था। इसका आधार 11 वर्षों की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से संचयी वार्षिक वृद्धि है। आधार प्रमाण वर्ष 1989 के उसी गाँव नारायणगढ़ की भूमि के अधिग्रहण से संबंधित संदर्भ न्यायालय के दिनांक 1 के एक आदेश से लिया गया था, और 11 साल की अवधि की गणना 1989 से 2000 तक की जा रही है, जो कि 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना का वर्ष है।

4. वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: i) अपीलार्थी के लाभ के लिए जिला अंबाला के नारायणगढ़ की राजस्व संपदा से 80 कनाल, 11 मरला की भूमि के अधिग्रहण के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

(ii) 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपत्तियां आमंत्रित की गईं; हालाँकि, कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

iii) 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 19.03.2001 पर जारी की गई थी।

iv) भूमि अधिग्रहण कलेक्टर/उप-मंडल अधिकारी (सिविल), जिन्हें पुरस्कार देने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया था, ने 1894 के अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस देकर 25.09.2001 पर प्रक्रिया शुरू की। पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करने और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने रुपये के मुआवजे की दर निर्धारित की। 3. 50 लाख प्रति एकड़, जो 2 रुपये, 187.50Ps प्रति मरला के बराबर होगा। 72.31 प्रति वर्ग गज 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख पर प्रचलित बाजार मूल्य है।

1 संक्षेप में, '1894 अधिनियम' 929

द सेंट्रल वॉयरहॉसिंग कार्पोरेशन v. ठाकुर द्वारा कलान उल-मारुफ बरगलान वाला (मृत) [विक्रम नाथ, जे.] 930

5. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:

क) विचाराधीन भूमि के क्षेत्रफल और वर्गीकरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

ख) भूमि मालिकों (उत्तरदाताओं) ने भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में कोई विशिष्ट दावा नहीं किया। एकमात्र दावा यह था कि उचित और उचित मुआवजा दिया जाए।

ग) अधिग्रहित भूमि विशुद्ध रूप से एक लिंक रोड के किनारे स्थित एक कृषि भूमि थी।

घ) संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मूल्यांकन के लिए संभागीय स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट ने जिला कलेक्टर, अंबाला के कार्यालय से प्रदान की गई बाजार दरों पर विचार करने के बाद प्रति एकड़ रुपये की बाजार दर तय की थी।

ड) स्थानीय राजस्व पटवारियों द्वारा समान भूमि के बिक्री विलेखों के संबंध में प्रदान की गई सामग्री जो सामग्री की तारीख को बंद निकटता के भीतर निष्पादित की गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत 19.11.2001 पर एक संदर्भ को प्राथमिकता दी जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से मुआवजे में वृद्धि की मांग की गई:

(i) अधिग्रहित भूमि चाही भूमि (सिंचित भूमि) थी जिसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था, और यह नारायणगढ़ जिले के पास अबादी के भीतर और साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए क्षेत्र के पास स्थित थी और यह सरकारी कॉलेज, नारायणगढ़ और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नारायणगढ़ के पास भी थी।

((ii) अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य संबंधित समय पर प्रति एकड़ Rs.30 लाख से कम नहीं था और इसलिए प्रति एकड़ Rs.35 लाख का दावा किया गया था।

7. अपीलार्थी ने संदर्भ कार्यवाही में अपनी आपत्तियों और लिखित बयान का नेतृत्व किया और संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सभी दावों का खंडन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

8. अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, संदर्भ न्यायालय/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला ने संदर्भ की अनुमति दी और बाजार मूल्य 6,310/- रुपये प्रति मरला निर्धारित किया। 208.59-1989 से 2000 तक 11 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12 प्रतिशत (साधारण/फल) वृद्धि को ध्यान में रखते हुए। रिलायंस को उसी गाँव (नारायणगढ़) के वर्ष 1989 में भूमि अधिग्रहण से संबंधित संदर्भ न्यायालय के दिनांक 30.08.2000 के एक फैसले पर रखा गया था, जिसमें संदर्भ न्यायालय ने दर Rs.2720-प्रति मरला रु। 89.91 प्रति वर्ग गज।

9. संदर्भ न्यायालय द्वारा वृद्धि से व्यथित दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उक्त अपीलों का निर्णय उच्च न्यायालय के सामान्य विवादित आदेश द्वारा किया गया जैसा कि पहले ही प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है।

10. उच्च न्यायालय ने इस फैसले के आधार पर 11 वर्षों की अवधि के लिए संचयी आधार पर 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक बनाम रमेशभाई जीवनभाई पटेल और अन्य 2 के मामले में अदालत। मनोरंजन करते हुए

विशेष अनुमति याचिका, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के अंतरिम आदेश के माध्यम से इस शर्त के अधीन रोक लगा दी कि अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे का 50 प्रतिशत जमा करेगा। उसी के अनुपालन में, अपीलार्थी ने 04.01.2017 पर रुपये जमा किए जिन्हें बाद में प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 12.04.2017 आदेश के माध्यम से वापस लेने की अनुमति दी गई थी। उक्त राशि तब से वापस ले ली गई है।

11. अपीलार्थी ने आगे बताया कि उसने वास्तव में प्रतिवादी को कुल 551/- रुपये का भुगतान किया है। जिनका विभाजन इस प्रकार है: (i) अधिनिर्णय के समय Rs.49,71,728/- का भुगतान किया गया था; (ii) उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत, Rs.65,69,816/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था।

12. हमने पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का भी अध्ययन किया है।

13. वर्तमान अपीलों में तय किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा क्या होगा ताकि दोनों पक्षों के बीच न्याय हो सके।

2 (2008) 14 एससीसी 745 931

द सेंट्रल वॉयरहॉसिंग कार्पोरेशन v. ठाकुर दुआर कलां उल-मारुफ बरगलन वाला (मृत) [विक्रम नाथ, जे.] 932 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

पक्षकार जिनका कहना है कि भूमि मालिकों को अपनी भूमि खोने के लिए उचित और उचित राशि का मुआवजा मिल सकता है, और साथ ही बाजार मूल्य से अधिक राशि प्रदान नहीं करके राज्य के खजाने को संतुलित कर सकते हैं ताकि अपीलकर्ता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े जो एक राज्य इकाई है।

14. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि संबंधित समय के उदाहरणों के रूप में कोई सामग्री नहीं है जो कि 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख है ताकि बाजार मूल्य के निर्धारण को सुविधाजनक बनाया जा सके। अपीलार्थी द्वारा जो भी बिक्री विलेख निर्दिष्ट किए गए हैं, उन्हें उस बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण उचित हैं और हमारे पास इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, हमें वर्ष 1989 के अधिग्रहण से संबंधित संदर्भ न्यायालय के दिनांक 30.08.2000 which के आदेश से पीछे हटना होगा। 30.08.2000 के इस संदर्भ न्यायालय के आदेश पर वर्तमान मामले में संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है। निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह होगा कि वार्षिक वृद्धि किस दर से लागू की जाए? संदर्भ न्यायालय ने दर वृद्धि पर 12 प्रतिशत एफएल लागू किया, जबकि उच्च न्यायालय ने 15 प्रतिशत संचयी लागू किया।

15. इस प्रकार संचयी आधार पर या गैर-संचयी आधार पर वार्षिक वृद्धि के बिंदु पर कानून और लागू की जाने वाली वार्षिक वृद्धि की दर पर विचार किया जाना चाहिए। उसी के आधार पर वर्तमान मामले में एक संतुलन और न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करने की आवश्यकता है।

16. न्यायसंगत क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के संबंध में पक्षों द्वारा निम्नलिखित मामलों पर भरोसा किया गया है।

i) महाप्रबंधक, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम रमेशभाई जीवनभाई पटेल और एक अन्य **(ऊपर)**, **(ii)** अशरफी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **3,iii)** नरबादी देवी और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य **4,**

(iv) रामराव शंकर तपसे बनाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और अन्य **5,**

3 (2013) 5 एस. सी. सी. 527

4 2014 का एसएलपी (सी) Nos.20531-20565, (22.08.2014-आदेश) 5 (2022) 7 एससीसी 563

v) हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम सुभाष चंदर और अन्य **6**

17. जिस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था, वह रमेशभाई जीवनभाई पटेल (उपरोक्त) था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संचयी प्रभाव-दर के साथ वार्षिक वृद्धि के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संदर्भित है, लेकिन साथ ही इसने एक चेतावनी दी थी कि इस तरह की वार्षिक वृद्धि केवल 4-5 वर्षों के लिए ली जा सकती है क्योंकि इसके बाद समान दर को समान रूप से लागू करना असुरक्षित होगा और वह भी संचयी प्रभाव-दर के साथ। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 15 को यहां पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया है जहां अंतर कई वर्षों का है, ऐसे मानक विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं बल्कि वही असुरक्षित हो सकते हैं।

“15. आम तौर पर, पिछले वर्षों में आस-पास की भूमि के सिद्ध बाजार मूल्य पर उचित वृद्धि प्रदान करके बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके का सहारा लिया जाता है (जैसा कि बिक्री लेनदेन या अधिग्रहण से पता चलता है), जहां किसी भी समकालीन बिक्री लेनदेन या पड़ोस में तुलनीय भूमि के अधिग्रहण का कोई सबूत नहीं है। उक्त विधि यथोचित रूप से सुरक्षित है जहां भरोसेमंद बिक्री लेनदेन/अधिग्रहण विषय अधिग्रहण से केवल कुछ साल पहले होते हैं, यानी चार से पांच साल तक। इसके अलावा यह असुरक्षित हो सकता है, भले ही यह पड़ोसी भूमि से संबंधित हो। एक विश्वसनीय मानक क्या हो सकता है यदि अंतर केवल कुछ वर्षों का है, तो असुरक्षित और अविश्वसनीय मानक बन सकता है जहां अंतर अधिक है। उदाहरण के लिए, 1992 में अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए, 1970 या 1980 में बिक्री या अधिग्रहण के संदर्भ में वार्षिक वृद्धि विधि को अपनाने से कई नुकसान हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि, वर्षों के दौरान, वार्षिक वृद्धि की "दर" में भारी परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा कीमतों में ठहराव की अलग-अलग अवधि या कीमतों में अचानक उछाल की संभावना हो सकती है जो वृद्धि के मानक को प्रभावित करती है।”

18. उक्त मामले में, सावधानी बरतने के बाद, इस न्यायालय ने पांच वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से संचयी वार्षिक वृद्धि का आदेश दिया।

6 (2023) 5 एससीसी 435 933

द सेंट्रल वॉयरहॉसिंग कार्पोरेशन v. ठाकुर द्वारा कलान उल-मारुफ बरगलान वाला (मृत) [विक्रम नाथ, जे.] 934

19. अशरफी और अन्य (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय

न्यायसंगत क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए संचयी रूप से वार्षिक वृद्धि लागू करने के मुद्दे पर विचार किया गया। इसमें निर्धारित कानून पर भी विचार किया गया

रमेशभाई जीवनभाई पटेल (ऊपर) का मामला और कई अन्य निर्णय

उक्त बिंदु पर। इसने पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का सूत्र लागू किया। आधार दर वर्ष 1987 की है जबकि विचाराधीन अधिग्रहण 1993 का है।

20. हम नरबादी देवी और अन्य (ऊपर) के मामले में दिनांकित 22.08.2014 आदेश का भी उल्लेख करेंगे जो अशरफी और अन्य (ऊपर) के मामले में निर्णय पर निर्भर था और संचयी रूप से 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को स्वीकार करता था। उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने हालांकि अशरफी और अन्य (ऊपर दिए गए) के फैसले में दिए गए आदेश का पालन किया था, लेकिन 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि उच्च न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर नहीं बल्कि सामान्य दर पर दी गई थी। इस न्यायालय ने तदनुसार उच्च न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित किया था कि 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि संचयी होगी।

21. हाल ही में, वर्ष 2022 में, इस न्यायालय ने रामराव शंकर तपसे (ऊपर) के मामले में रमेशभाई जीवनभाई पटेल (ऊपर) के मामले में फैसले और इसी तरह के अन्य मामलों का हवाला देते हुए, तीन साल की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से संचयी रूप से वार्षिक वृद्धि का आदेश दिया। उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने 10 प्रतिशत की दर से संचयी वार्षिक वृद्धि लागू की थी। 22. सुभाष चंदर (उपरोक्त) के मामले में नवीनतम निर्णय 2023 का है। इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि वार्षिक वृद्धि की दर प्रति वर्ष 8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक हो सकती है। हालांकि, उक्त मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने केवल दो साल की अवधि के लिए संचयी रूप से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का आदेश दिया था।

23. उपरोक्त से, हम देखते हैं कि न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए वार्षिक वृद्धि देने के लिए इस न्यायालय द्वारा लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण मामले-दर-मामले भिन्न होता है और लागू की जाने वाली अवधि एक प्रमुख कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अवधि 11 वर्ष है जो ऊपर उल्लिखित मामलों में विचार की गई समय अवधि की तुलना में बहुत बड़ी है। 24. मामले में समग्र दृष्टिकोण और इस न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में उचित और उचित मुआवजे का सबसे अच्छा निर्धारण किया जाएगा यदि हम

संचयी प्रभाव अधिनियम के साथ 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू करते हैं।यही कारण है कि अंतर बहुत बड़ा है यानी 11 साल।कम समय के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

तीन से पाँच वर्षों में यह 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत हो सकता था।लेकिन किसी भी मामले में 15 प्रतिशत को 11 साल की अवधि के लिए उचित नहीं ठहराया जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में दिया गया है।वर्तमान मामले में, 11 साल के अंतराल को देखते हुए, 8 प्रतिशत को उचित और उचित माना जाएगा।

25. मोटे तौर पर मूल्यांकन करने पर, मुआवजा संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के बराबर होगा।उच्च न्यायालय ने 15 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि लागू करके मुआवजे को बढ़ाने में गलती की।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश dated 01.06.2016 is को दरकिनार कर दिया गया।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ऊपर निर्धारित दर पर मुआवजे की गणना करेगा।

27. अपीलार्थी के अनुसार, रुपये की राशि <आईडी1,551/- पहले ही जमा की जा चुकी थी और उत्तरदाताओं को वितरित भी की जा चुकी थी।यदि अंतिम गणना के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर यह मानता है कि उत्तरदाताओं को कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, तो उसे कानून के अनुसार वसूल किया जाएगा, हालांकि, यदि अंतिम गणना के लिए उत्तरदाताओं को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा।

28. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

29. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे